



स्पाइसेस बोर्ड
भारत

स्पाइसेस बोर्ड SPICES BOARD

वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार
Ministry of Commerce & Industry, Government of India

निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र CERTIFICATE OF REGISTRATION AS EXPORTER

प्रमाणपत्र सं.

Certificate No. ML/REG/R951/2008

प्रपत्र - क FORM - A

अनन्तरणीय (Not transferable)

(स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 11) (Section 11 of Spices Board Act, 1986)

मेसर्स M/s...ROYAL AGRO FOODS INDUSTRIES.....

S-32, APMC MARKET-2, PHASE-II, SECTOR-19, TURBHE NAVI MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400 705

को भारत से मसालों के व्यापारी / स्वनिर्माता निर्यातक के रूप में कारबार करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, 1989 में उल्लिखित शर्तों तथा स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी किए हुए अनुदेशों के अधीन प्राधिकृत किया जाता है। यह प्रमाणपत्र अगस्त, 2011 के इकतीसवें दिन तक विधिमान्य है।

is/are hereby authorised to do business as Merchant / Manufacturer / Exporter of Spices from India subject to the conditions specified in the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations, 1989 and instructions issued by the Spices Board. The certificate is valid up to the 31st day of August 2011.

स्थान:

Place: Cochin - 25

तारीख:

Date: 05/01/2009

मोहर

Seal

बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

Officer Authorised by the Board

ओ. टी. एस. नंब्यार O. T. S. NAMBIAR

संयुक्त निदेशक (विपणन) Joint Director (Mktg.)